क्रम-संख्या —112

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

बैशाख 10, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 981/सत्रह–वि०–1—1(क)-14-2001

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2001 के रूप में उद्देश्य और कारण के साथ सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 5 मार्च, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ङ ङ) 'केबिल आपरेटर' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो केबिल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबिल सेवा प्रदान करता हो या अन्यथा उसे नियंत्रित करता हो या केबिल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंध और प्रचालन के लिए उत्तरदायी हो और इसके अन्तर्गत किसी होटल का ऐसा स्वामी भी है जो अपने निजी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से होटल में केबिल सेवा की व्यवस्था करता हो।"

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(न) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1995 में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में परन्तुक में शब्द "सिनेमा" के स्थान पर शब्द "सिनेमा या केबिल आपरेटर" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "पचास पैसे" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "एक रुपया" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(7) जहां किसी होटल में, कमरों या अन्य स्थानों में, केबिल सेवा के रूप में आमोद की व्यवस्था की जाय, वहां प्रत्येक कमरा या अन्य स्थान में इस प्रकार की गई आमोद की व्यवस्था को पृथक आमोद समझा जायगा और ऐसे प्रत्येक आमोद में प्रवेश के लिये अंशदान उस अंशदान की धनराशि के बराबर समझा जायेगा जो होटल में केबिल सेवा की व्यवस्था कर रहे केबिल आपरेटर द्वारा होटल के आस-पास के ग्राहकों से प्रभारित की जाती हो और ऐसे अंशदान के आधार पर कर का उद्ग्रहण और भुगतान किया जायगा :

परन्तु जहां केबिल आपरेटर स्वयं होटल का मालिक हो, वहां ऐसे प्रत्येक आमोद में प्रवेश के लिए अंशदान उस अंशदान की धनराशि के बराबर समझा जायगा जो किसी अन्य केबिल आपरेटर द्वारा होटल के आस-पास के किसी ग्राहक से प्रभारित की जाती हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और धारा 2 के खण्ड (ङ ङ) के प्रयोजनों के लिए 'होटल' के अन्तर्गत कोई आवासीय इकाई भी है जिसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हों किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की 'पेइंग गेस्ट योजना' के अधीन अनुमोदित इकाइयां नहीं हैं।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1995 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर अध्या संख्या 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य में आमोद, प्रमोद और कतिपय प्रकार के पण पर कर के उद्ग्रहण और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में केबिल सेवा के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले आमोद पर कर के उद्ग्रहण और भुगतान के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध नहीं है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि,—

(1) "केबिल आपरेटर" पद की परिभाषा और ऐसे शब्दों और पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं, वही अर्थ दिये जाने, जो उनके लिए केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1995 में समनुदेशित हैं;

(2) केबिल सेवा के लिए कर का सम्मत भुगतान;

(3) किसी होटल के ऐसे स्वामी पर, जो अपने निजी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से होटल में केबिल सेवा की व्यवस्था करता हो, कर का अधिरोपण; और

(4) आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान और कर को (जिसके अन्तर्गत अधिभार भी है) एक रुपये के अगले उच्चतर गुणक में पूर्णांकन;

की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2001 को उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 981 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-14-2001

Dated Lucknow, April 30, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 2001 alongwith the Statement of Objects and Reasons thereto.

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 15 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 5, 2001.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 28 of 1979

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) after clause *(e)*, the following clause shall be *inserted*, namely:—

"*(ee)* 'cable operator' means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of cable television network and includes the proprietor of a hotel who provides cable service in the hotel through his own cable television network."

(b) after clause *(s)*, the following clause shall be *inserted*, namely:—

"*(t)* Words and expressions used in this Act but not defined, shall have the meaning respectively assigned to them in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in the proviso, *for* the words "Cinema" the words "Cinema or cable operator" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (3), *for* the words "fifty paise" wherever occuring, the words "One rupee" shall be *substituted;*

(c) after sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(7) where in a hotel, entertainment by way of cable service is provided in rooms or other places, the entertainment so provided in each room or other place shall be deemed to be a separate entertainment and the subscription for admission to each such entertainment shall be deemed to be equal to the amount of subscription charged from a subscriber in the vicinity of the hotel by the cable operator providing cable service in the hotel, and the tax shall be levied and paid on the basis of such subscription :

Provided that where the cable operator himself is the proprietor of the hotel, the subscription for admission to each such entertainment shall be deemed to be equal to the amount of subscription charged from a subscriber in the vicinity of the hotel by any other cable operator.

Explanation—For the purposes of this sub-section and clause *(ee)* of section 2, 'hotel' includes an accommodational unit wherein rooms are provided to the customers on rent, but does not include the units approved under the 'Paying Guest Scheme' of the Department of Tourism of the State Government."

Repeal of U.P. Act no. 28 of 1995

4. The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Second Amendment) Act, 1995 is hereby repealed.

Repeal and Savings

5. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 9 of 2001

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979 has been enacted to provide for the levy and payment of tax on entertainments, amusements and on certain forms of betting in the State. There was no specific provision in the said Act for levy and payment of tax on entertainments provided through cable service. It was, therefore, decided to amend the said Act mainly to provide for,—

(1) the definition of the term "cable operator" and extending the meanings of words and expressions assigned to such in the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 as are used in the Act but are not defined therein ;

(2) the compounded payment of tax for cable service ;

(3) imposition of tax on the proprietor of a hotel who provides cable service to the hotel through his own cable television network ; and

(4) rounding off the payment for admission to entertainment and the tax (including surcharge) to the next higher multiple of one rupee.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 2001 (U.P. Ordinance no. 9 of 2001) was promulgated by the Governor on March 5, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 20 सा० विधा०–2001—(197)–850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।